रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 478] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 1984/पौष 7, 1906
No. 478] NEW DELHI, FRIDAY, DEC. 28, 1984/PAUSA 7, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1984

सं. 289/84-सीमा शुल्क

सा. का. नि. 824(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 21/84-सीमा

शुल्क, तारीख 15 फरवरी, 1984 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के दूसरे पैरा में "31 दिसम्बर, 1984" अंकों और शब्दों के स्थान पर "31 दिसम्बर, 1985" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 355/345/84-सी.शु. I]

एम. एन. बिश्वास, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 1984

NO. 289/84-CUSTOMS

G.S.R. 824(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 21/84-Customs, dated the 15th February, 1984, namely :—

In the said notification, in paragraph 2, for the figures, letters and words "31st day of December, 1984"; the figures, letters and words "31st day of December, 1985" shall be substituted.

[F. No. 355/345/84-Cus.I.]

M. N. BISWAS Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985